साइबरस्पेस में अधिकारों का संरक्षण: साइबर अपराध के विरुद्ध भारत की जंग

- प्रवीण दीक्षित
विशेष प्रतिवेदक, एनएचआरसी

पिछले दो दशकों में, भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति की है। अनुमान है कि भारत में लगभग एक अरब लोग कंप्यूटर और मोबाइल उपकरणों का उपयोग करते हैं, यह संख्या तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। हालाँकि, जैसे-जैसे अधिक लोग साइबरस्पेस में संलग्न हो रहे हैं, असामाजिक तत्व भी कानूनी और सामाजिक कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं, जिससे मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, साइबर अपराधी शिशुओं, बच्चों, किशोरों, वयस्कों और बुजुर्गों सहित पीड़ितों की एक विस्तृत श्रृंखला को निशाना बनाते हैं, जो दर्शाता है कि इस खतरे से कोई भी अछूता नहीं है।

इन बढ़ते साइबर खतरों के जवाब में, भारत साइबर अपराध से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और संगठनात्मक स्तर पर सक्रिय रूप से उपाय कर रहा है, साथ ही नवीन तकनीकों को अपना रहा है। मूलभूत कदम 2008 और 2015 में संशोधन के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम) का अधिनियमन था। साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए, भारत पांच प्राथमिक कानूनों: आईटी अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023, कंपनी अधिनियम 2013 और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क (एनसीएफएस) का पालन करता है। ये कानून दंड और प्रतिबंध स्थापित करते हैं जो ई-गवर्नेंस, ई-बैंकिंग, ई-कॉमर्स और गेमिंग क्षेत्रों की रक्षा करते हैं।

साइबर अपराधियों ने आतंकवादी गतिविधियों और चरमपंथी विचारधाराओं में युवा व्यक्तियों की भर्ती के लिए साइबर स्पेस का तेजी से उपयोग किया है।

कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम में तीन पुराने आपराधिक कानूनों को निरस्त करना शामिल है, जिससे बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 का कार्यान्वयन 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी हुआ। ये नए कानून आपराधिक प्रक्रियाओं के भीतर इलेक्ट्रॉनिक संचार को मान्यता देते हैं, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है और बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के खिलाफ साइबर अपराधों का समाधान होता है।

साइबर अपराधियों ने आतंकवादी गतिविधियों और चरमपंथी विचारधाराओं में युवा व्यक्तियों की भर्ती के लिए साइबर स्पेस का तेजी से उपयोग किया है। वे अपने अवैध संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए डार्क वेब, क्रिप्टोकरेंसी और मादक पदार्थों की तस्करी का उपयोग करते हैं। जवाब में, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, क्रिप्टोकरेंसी के वैधीकरण को खारिज कर दिया है और नशीली दवाओं के व्यापार के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति अपनाई है।